भारत सरकार

विधि और न्याय मंत्रालय

न्याय विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 986

जिसका उत्तर शुक्रवार, 22 जुलाई, 2022 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ का स्थानांतरण

986. श्री श्रीधर कोटागिरी :

श्रीमती चिंता अनुराधा :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को आंध्र प्रदेश में उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ को अमरावती से कुरनूल स्थानांतरित करने का लिखित अनुरोध प्राप्त हुआ है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(ख) क्या सरकार अनुरोध पर सकारात्मक रूप से विचार कर रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्री

(श्री किरेन रीजीजू)

(क) और (ख) : आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की अमरावती प्रधान न्यायपीठ आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2014 के अधीन स्थापित की गई थी और तारीख 01.01.2019 से कार्य कर रही है ।

फरवरी, 2020 में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ अमरावती से कर्नूल स्थानांतरित करने के लिए प्रस्ताव किया था ।

उच्च न्यायालय की प्रधान न्यायपीठ के स्थानांतरित करने का विनिश्चय संबंधित उच्च न्यायालय के परामर्श से राज्य सरकार द्वारा किया जाता है । राज्य सरकार, राज्य उच्च न्यायालय को चलाने हेतु व्यय करने के लिए उत्तरदायी है । इस प्रकार संबंधित उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति न्यायालय के दिन प्रति दिन प्रशासन को चलाने के लिए उत्तरदायी है । वर्तमान मामले में आंध्र प्रदेश राज्य सरकार और आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय दोनों को उच्च न्यायालय को कर्नूल स्थानांतरित करने संबंधी अपनी राय बनानी है और भारत सरकार को एक पूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत करना है । यद्यपि, कोई पूर्ण प्रस्ताव सरकार के पास लंबित नहीं है ।

****